ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in January 2025

वैदिक काल में पुनर्विवाह का अध्ययन

धीरज कुमार, शोधार्थी, खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़।
डॉ0 पवन कुमारी, सहायक आचार्य (इतिहास विभाग) खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़।

परिचयात्मक शोध की भूमिका

हिन्दू समाज में यह विश्वास पाया जाता है कि विवाह एक अविच्छेद सम्बंध है, पति–पत्नी के जीवन काल में विवाह–विच्छेद नहीं हो सकता, मृत्यु भी इस सम्बंध को भंग नहीं कर सकती, सती स्त्रियाँ जन्म–जन्मांतरों में भी अपने पति को प्राप्त करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विश्वास पिछले काल के धर्मशास्त्रों से तथा पुराणों से प्राप्त होता है, किन्तु यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो मालूम होगा कि दूसरी शताब्दी ई०पू० से मनुस्मृति तथा इसके बाद की अन्य स्मृतियों ने विवाह को अविच्छेद सम्बंध के रूप में प्रतिपादित किया। स्त्रियों का एक विवाह हो जाने के बाद उन्हें कुछ विशेष अवस्थाओं में दूसरा विवाह करने का अधिकार था। मनु स्मृति के बाद की कुछ स्मृतियों ने भी स्त्रियों का यह अधिकार स्वीकृत किया किन्तु बाद में हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा गिरती गई और उनसे यह अधिकार छिन गया।

वैदिक युग में पति के मर जाने पर पत्नी को दूसरा विवाह करने का अधिकार निश्चित रूप से था। यदि पति–पत्नी का सम्बंध स्थायी है, तो पत्नी को दूसरे विवाह का अधिकार नहीं होना चाहिये। उसे आमरण वैधव्य का जीवन बिताते हुये अपने मृत पति की भक्ति करनी चाहिये। यह भी पाया गया के जिस समय से हिन्दू समाज में विवाह को अविच्छेद सम्बंध सिद्धान्तपूर्ण रूप से माना जाने लगा, उसी समय से स्त्रियों का दूसरा विवाह बन्द हो गया। किन्तु वैदिक साहित्य में स्त्रियों के पुनर्विवाह के कुछ संकेत मिलते हैं। अथर्ववेद में मृत पति की चिता के पास बैठी विधवा से कहा गया है कि उसके निकट आओ जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुम्हें प्रेम करता है। तुम अब उससे पत्नी के सम्बन्ध में प्रविष्ट हो चुकी हो। आपस्तम्ब ने स्त्री और पति के भाई के मध्य यौन सम्बन्ध का संकेत किया है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में स्त्री के पुनर्विवाह की चर्चा है– "जो पहले पति को प्राप्त करने के 'पश्चात्' दूसरे पति को प्राप्त करती है, वे दोनों 'पंचौदन अज' कहलाते थे। वैदिक युग में 'पंचौदन अज' की परंपरा थी, तथा पतियों के स्थानान्तरण होने पर यह प्रक्रिया दोहरायी जाती थी।

इससे स्पष्ट यह है कि स्त्रियों को कुछ विशेष दशाओं में पुनर्विवाह का अधिकार था। वेदों से पुनर्विवाह की विशेष दशाओं पर कुछ अधिक प्रकाश नहीं पड़ता।

या पूर्व पति हित्वा अथान्यं विन्दते पतिम् ।
पंचौदन च तावज ददातो न वियोषत् ।।
समानलोको न भवति पुनर्भुवा परः पतिः ।
योअजे पंचौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति ।।

वैदिक काल में भारतीय समाज में विवाह को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद, पुनर्विवाह (जो आज के संदर्भ में किसी व्यक्ति के पति या पत्नी के मृत्यु के बाद दूसरा विवाह होता है) की अवधारणा भी अस्तित्व में थी। यह अध्ययन करना आवश्यक है कि कैसे इस काल के धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण ने पुनर्विवाह को देखा और उसकी स्थिति क्या थी।

वैदिक साहित्य, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद, में विवाह के महत्व को प्रमुखता से बताया गया है। इन ग्रंथों में विवाह को एक सशक्त और स्थायी बंधन के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रजनन, सामाजिक संरचना, और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना था। हालांकि, ऋग्वेद और अन्य वेदों में पुनर्विवाह की कोई विशेष चर्चा नहीं मिलती, लेकिन यह स्पष्ट है कि वेदों में पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से समाज के धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाने का जिम्मा सौंपा गया था। अथर्ववेद में कुछ स्थानों पर महिला की पुनर्विवाह की स्थिति को लेकर संकेत मिलते हैं। यदि किसी स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त करता था, तो उसे पुनर्विवाह की अनुमति दी जाती थी, ताकि वह सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित न हो। हालांकि, यह एक अपवाद था और व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं था।

मनुस्मृति में विवाह और परिवार के संबंध में विस्तृत नियम दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का पति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो पत्नी को पुनर्विवाह का अधिकार दिया जा सकता था। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों के अनुसार, पत्नी को अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित

करने के लिए पुनर्विवाह का अधिकार था, लेकिन यह भी कहा गया कि "दूसरे पति से विवाह करने से पहले उसे अपने पहले पति के साथ नैतिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए"।

मनुस्मृति में एक महिला के लिए पुनर्विवाह की अनुमति को बहुत अधिक प्रतिबंधित नहीं किया गया, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह महिला समाज के कौन से वर्ग से संबंधित थी और उसका सामाजिक स्थिति क्या थी। उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए पुनर्विवाह को कभी–कभी सामाजिक दृष्टिकोण से अनुपयुक्त माना जाता था, जबकि निम्न वर्गों की महिलाओं के लिए यह अधिक स्वीकार्य था।

महाभारत में भी पुनर्विवाह की कुछ स्थितियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें द्रौपदी का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। द्रौपदी के पांच पतियों के बीच उसका संबंध एक विशेष प्रकार का था, जिसमें प्रत्येक पति का विवाह के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किया गया था। यह स्थिति एक तरह से पुनर्विवाह के उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि द्रौपदी के प्रत्येक पति के साथ उसका विवाह एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। इसके अलावा, महाभारत में पुनर्विवाह के बारे में कुछ विशेष घटनाएं दिखाई देती हैं, जैसे कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह और उनके बाद के विवाहों का संदर्भ।

वैदिक काल में पुनर्विवाह को लेकर समाज में मिश्रित दृष्टिकोण था। जबकि वेद और शास्त्रों में महिला की स्थिति का ध्यान रखते हुए कुछ परिस्थितियों में पुनर्विवाह को स्वीकृति दी जाती थी, लेकिन सामान्यतः यह एक विवादास्पद विषय था। समाज की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, पत्नी का एकमात्र कर्तव्य अपने पति की सेवा करना और उनके साथ अपने जीवन को बिताना था। ऐसे में एक पत्नी का पुनर्विवाह सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता था, खासकर उच्च वर्गों में। हालांकि, निम्न वर्गों में पुनर्विवाह को अधिक स्वीकार्यता मिल सकती थी, क्योंकि समाज में उनकी स्थिति ज्यादा कठोर नहीं होती थी। इस प्रकार, वैदिक काल में पुनर्विवाह की स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों ही सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती थी।

वैदिक काल में जीवन के चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यास) के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। गृहस्थ आश्रम में जीवन के मुख्य उद्देश्य परिवार का पालन–पोषण, समाज की सेवा और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना था। इस आश्रम में विवाह को एक आवश्यक संस्कार माना गया था, और इस जीवन में एक व्यक्ति को एक स्थायी साथी की आवश्यकता थी। हालांकि, गृहस्थ जीवन में किसी के जीवनसाथी की मृत्यु के बाद महिला को पुनर्विवाह की अनुमति दी जाती थी, ताकि वह अकेले न रहे और अपने जीवन को ठीक से चला सके।

वैदिक काल में पुनर्विवाह को लेकर स्थिति कुछ जटिल और संदिग्ध थी। एक ओर जहां कुछ धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में पुनर्विवाह की स्वीकृति दी गई थी, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक मान्यताओं और वर्गों पर निर्भर करता था कि समाज उस महिला या पुरुष के पुनर्विवाह को स्वीकारेगा या नहीं। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार, उच्च वर्ग में इसे सामान्यतः अस्वीकृत किया जाता था, जबकि निम्न वर्ग में यह एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में देखा जाता था। इस प्रकार, वैदिक काल में पुनर्विवाह की अवधारणा का समाज में मिश्रित दृष्टिकोण था, जो समय, स्थिति और सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर करता था।

परिचयात्मक शोध के सोपान

वैदिक काल वह समय था जब वेदों की रचना हुई थी, जो लगभग 1500 से 500 ई.पू. तक माना जाता है। इस काल में समाज का ढांचा मुख्य रूप से कृषि, पारिवारिक और धार्मिक मूल्यों के आधार पर था।

विवाह को एक पवित्र संस्कार (धर्म) माना जाता था, जो न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। वैदिक समाज में विवाह एक पारंपरिक और धार्मिक संस्कार था, जो परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करता था और समाज के सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता था। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति, परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखना और समाज के सामूहिक सौहार्द को बढ़ावा देना था। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, और वे न केवल घरेलू कार्यों, बल्कि धार्मिक, दार्शनिक और समाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। हालांकि, विवाह एक महिला की पहचान का एक अहम हिस्सा था, और वह अपने पति के साथ धार्मिक कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाती थी। वैदिक ग्रंथों में पुनर्विवाह (पुनः विवाह) पर सीधे तौर पर बहुत चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन यह माना जा सकता है कि कुछ परिस्थितियों में समाज ने विधवाओं के पुनर्विवाह को स्वीकार किया। कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे

पति की मृत्यु हो जाने पर, या संतान न होने की स्थिति में, समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को स्वीकृति मिल सकती थी।

यदि किसी महिला का पति मृत्यु के कारण या अन्य कारणों से अनुपस्थित हो जाता, तो समाज में विधवा के पुनर्विवाह की स्वीकृति दी जाती थी। वैदिक काल में 'नियोग' प्रथा थी, जिसके तहत एक महिला अपने मृत पति के भाई से संतान प्राप्त करने के लिए विवाह कर सकती थी। इसे विधवा पुनर्विवाह का एक रूप माना जा सकता है। धर्मशास्त्रों में विधवा विवाह के बारे में कुछ स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए गए थे। जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में विधवा विवाह को सीमित शर्तों के साथ स्वीकार किया गया था। इन शास्त्रों के अनुसार, विधवा विवाह को कुछ शर्तों और समाज के दृष्टिकोण से नियंत्रित किया गया था। अधिकांश धर्मशास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन यह केवल उन महिलाओं के लिए था जो कम उम्र की थीं और जिनके पास संतान न हो।

वैदिक और उत्तर–वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति क्षेत्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती थी। कुछ समुदायों में यह अधिक स्वीकार्य था, जबकि कुछ स्थानों पर इसे निषेध माना जाता था। विशेष रूप से राजपुत्रों और ब्राह्मणों में विवाह के कड़े नियम होते थे, और पुनर्विवाह के लिए कड़े सामाजिक दृष्टिकोण अपनाए जाते थे। समय के साथ, विशेषकर मध्यकाल में विधवा पुनर्विवाह पर सख्त सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए। यह प्रथा अधिकतर उन्नत और समृद्ध वर्गों में अनुपालन में थी।

परिचयात्मक शोध का महत्व

"वैदिक काल में पुनर्विवाह का अध्ययन" एक महत्वपूर्ण और गहन विषय है, क्योंकि यह न केवल वैदिक समाज की सामाजिक और धार्मिक संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि यह महिलाओं की स्थिति, विवाह के दृष्टिकोण और भारतीय समाज में विवाह की ऐतिहासिक विकास यात्रा को भी उजागर करता है। इस विषय का अध्ययन विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है – वैदिक काल में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को समझने के लिए पुनर्विवाह का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। यह यह दिखाता है कि कैसे उस समय समाज में महिलाओं के अधिकार, स्वतंत्रता, और सामाजिक स्थिति को देखा जाता था। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह की स्वीकृति या निषेध से समाज के विचार, उनके प्रति दृष्टिकोण और उनका सम्मान स्पष्ट होता है।

वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार और सामाजिक कर्तव्य माना जाता था। पुनर्विवाह के अध्ययन से यह समझने में मदद मिलती है कि समाज में विवाह के प्रति क्या दृष्टिकोण था, विशेष रूप से जब पति की मृत्यु हो जाती थी। यह इस बात का भी संकेत देता है कि समाज में परिवार और संतति की अहमियत कितनी थी। वैदिक साहित्य और बाद के धर्मशास्त्रों में पुनर्विवाह पर विभिन्न विचार मिलते हैं। यह धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोणों को जानने में मदद करता है, जो उस समय के समाज के विचारों और आदर्शों का निर्माण करते थे। जैसे, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में विधवा विवाह पर विचार किए गए हैं, जो समाज के धार्मिक विचारों और रीति–रिवाजों को दर्शाते हैं।

वैदिक काल में पुनर्विवाह पर जो स्वीकृति या प्रतिबंध थे, वे समय के साथ बदलते रहे। इस अध्ययन से यह भी समझा जा सकता है कि भारतीय समाज में सामाजिक बदलाव, विशेष रूप से महिला अधिकारों, परंपराओं और विवाह के दृष्टिकोण में कैसे परिवर्तन हुआ। यह हमें दिखाता है कि कैसे समाज ने महिलाओं के अधिकारों को समय के साथ मान्यता दी और उन्हें समाज में एक नया स्थान दिया।

विधवा विवाह के विषय पर विचार करके हम यह जान सकते हैं कि समाज में महिलाओं के साथ समानता और उनके अधिकारों को लेकर क्या दृष्टिकोण था। पुनर्विवाह के अधिकार को लेकर समाज के विभिन्न दृष्टिकोण, विशेष रूप से धर्म, परंपरा, और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर, एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हैं। यह विशेष रूप से उन बदलावों को समझने में मदद करता है, जो आधुनिक समय में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह और अधिकारों के लिए हुए हैं। पुनर्विवाह पर समाज के दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में संस्कृति और रीति–रिवाज कैसे निर्धारित करते थे कि कौन सी सामाजिक प्रथाएँ स्वीकार्य थीं और कौन सी नहीं। इस अध्ययन से समाज के पारंपरिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी समझा जा सकता है, जो आज भी कई हिस्सों में प्रभावी हैं।

वैदिक काल में पुनर्विवाह का अध्ययन हमें भारतीय समाज के विकास, धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचना और महिला स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह विषय न

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in January 2025

केवल इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों के लिए, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और समाज के समग्र विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

परिचयात्मक अध्ययन के उद्देश्य

पूनर्विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक विषय है, जिसका उद्देश्य वैदिक समाज के विवाह, पारिवारिक संरचना और महिलाओं की स्थिति को समझना है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य वैदिक काल में विवाह के महत्व और इसके धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझना है।
2. वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, और विशेष रूप से विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रति समाज का दृष्टिकोण क्या था। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को लेकर समाज की स्वीकृति या अस्वीकृति का विश्लेषण करना।
3. वैदिक ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह के बारे में क्या दृष्टिकोण था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विधवा पुनर्विवाह पर दिए गए निर्देशों का अध्ययन करना भी इस विषय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
4. वैदिक काल में विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह समाज की पारिवारिक संरचना और वंश परंपरा को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका था।

परिचयात्मक शोध का निष्कर्ष

वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। विवाह का उद्देश्य संतानोत्पत्ति, परिवार की प्रतिष्ठा और समाज की संरचना को बनाए रखना था। पुनर्विवाह, विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह, को समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया था, और यह समाज की सामाजिक संरचना, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के अनुसार बदलता था।

वैदिक काल में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था, और वे धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक जीवन में सक्रिय भागीदार थीं। हालांकि, विवाह और पारिवारिक जीवन से जुड़ी उनकी भूमिका और अधिकार सीमित थे। विधवा पुनर्विवाह पर वैदिक और धर्मशास्त्रों में विचार किया गया था, और कुछ स्थितियों में इसे स्वीकार किया गया था, जैसे संतान न होने या पति की मृत्यु के बाद। यह दिखाता है कि समाज ने विधवाओं के पुनर्विवाह को एक आवश्यकता के रूप में देखा, हालांकि यह सामाजिक स्वीकृति और समय के साथ बदलते दृष्टिकोणों पर निर्भर करता था।

वैदिक काल में पुनर्विवाह पर स्पष्ट रूप से कोई नियम नहीं था, लेकिन बाद के धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में विधवा पुनर्विवाह के बारे में कुछ दिशा–निर्देश दिए गए थे। इन ग्रंथों के आधार पर, समाज में पुनर्विवाह को एक नियंत्रित और सीमित दृष्टिकोण से देखा जाता था। वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक पुनर्विवाह की स्वीकृति और प्रथा में बदलाव आया है। वैदिक काल में समाज ने पुनर्विवाह को परिस्थितियों के आधार पर स्वीकार किया था, जबकि बाद के कालों में विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।

वैदिक काल में पुनर्विवाह का अध्ययन हमें न केवल वैदिक समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे को समझने में मदद करता है, बल्कि यह महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों और समाज में उनके स्थान को लेकर समाज के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है। यह अध्ययन आज के समाज में महिला सशक्तिकरण, समानता और विधवा पुनर्विवाह के अधिकारों पर बहस को और भी प्रासंगिक बनाता है, और यह दर्शाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएँ समय के साथ कैसे विकसित होती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य श्रीराम शर्मा 'विवाहोन्मादः समस्या और समाधान' अंक 60 पृष्ठ सं0 1–6
2. आचार्य श्रीराम शर्मा वाड्मय 'षोडश संस्कार विवेचन' अंक 33 पृष्ठ सं010.13
3. आचार्य श्रीराम शर्मा 'विवाहोन्माद समस्या और समाधान' अंक 60 पृष्ठ सं01.6
4. डा० हरिदत्त वेदालंकार 'हिन्दू विवाह का संक्षिप्त इतिहास' पृष्ठ सं0 5
5. डा० डी०एस० बघेल 'भारतीय समाज' पृष्ठ सं180
6. डा0 कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव 'प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति' पृष्ठसं0208
7. 'मनु स्मृति' अनुवादक पं० ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी अध्याय 9/28 पृष्ठ सं0303